पत्रांक–15/बि0स0से0–03–01/2019 सा0प्र0...12187../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग/परिवहन विभाग/पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।
मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, डिहरी।

पटना–15, दिनांक–...5.9.../2019

विषयः– **बिहार सचिवालय सेवा के स्थानांतरित सहायकों को योगदान करने हेतु विरमित करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय आदेश ज्ञापांक 293 दिनांक 29.06.2019 द्वारा बिहार सचिवालय सेवा के कतिपय सहायकों का स्थानांतरण/पदस्थापन किया गया है। उक्त आदेश के आलोक में आपके विभाग/कार्यालय से स्थानांनरित सहायकों को विरमित किये जाने से संबंधित सूचना इस विभाग को अबतक अप्राप्त है।

अतः अनुरोध है कि उक्त विभागीय आदेश के आलोक में यदि आपके विभाग में पदस्थापित सहायकों को स्थानांतरित कार्यालय में योगदान करने हेतु विरमित कर दिया गया हो तो इसकी सूचना अविलंब इस विभाग को उपलब्ध कराने तथा स्थानांतरित सहायको को विरमित नहीं किये जाने की स्थिति में दिनांक 23.09.2019 तक निश्चित रूप से विरमित करने की कृपा की जाय।

प्रशासी विभाग/कार्यालय द्वारा स्थानांतरित सहायकों को दिनांक 23.09.2019 तक विरमित नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित सहायक दिनांक 24.09.2019 से स्वतः विरमित समझे जायेगें।

विश्वासभाजन

5/9/19

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–15/बि0स0से0–03–01/2019 सा0प्र0.12189/पटना–15, दिनांक ...5.9.19

प्रतिलिपिः– आयुक्त के सचिव, मगध प्रमंडल, गया/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद एवं बिहारशरीफ तथा संबंधित स्थानांतरित सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित स्थानांतरित सहायकों से अनुरोध है कि प्रशासी विभाग/कार्यालय द्वारा दिनांक 23.09.2019 तक विरमित नहीं किये जाने की स्थिति में स्वतः विरमित होकर स्थानांरित कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें।

5/9/19

सरकार के अवर सचिव।

D:\Prachish\EK\Rajesh\Letter